इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2126

30 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए

एन.एम.डी.सी. द्वारा एकाधिकारप्राप्त मूल्य निर्धारण किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन

2126. श्री कनवर दीप सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एनएमडीसी मनमाने ढंग से एकाधिकारप्राप्त मूल्य निर्धारण करता रहा है और इस प्रकार अंतिम उपभोक्ताओं पर बोझ डालता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एसोचेम, सीमा, फिक्की और छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मेनुफेक्चर्स एसोसिएशन जैसे औद्योगिक निकायों ने एनएमडीसी द्वारा एकतरफा रूप से मूल्य निर्धारण किए जाने जिससे इस्पात के मूल्य बढ़ने और उसके परिणामस्वरूप महंगाई बढ़ने की संभावना होती है, के विरूद्ध शिकायत करते हुए इस्पात मंत्रालय को लिखित अभ्यावेदन दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा औद्योगिक निकायों की चिंताओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क): जी, नहीं। लौह अयस्क नियंत्रणमुक्त क्षेत्र में आता है। लौह अयस्क की कीमतें अलग-अलग कंपनियों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक और सामान्य बाजार स्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। एनएमडीसी लिमिटेड देश में लौह अयस्क के कई उत्पादकों में से एक है और देश में लौह अयस्क के कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी केवल लगभग 16 प्रतिशत है। एनएमडीसी लिमिटेड के अतिरिक्त, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लौह अयस्क खनन करने वाली कई अन्य कंपनियां भी विद्यमान हैं जो देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग को लौह अयस्क की आपूर्ति करती हैं। वर्ष 2011-12 से एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा अपनाई जा रही कीमत निर्धारण नीति के अनुसार छत्तीसगढ़ में खानों के विभिन्न उत्पादों की कीमतें घरेलू लौह अयस्क की कीमतों के अनुरूप रखी जाती हैं। तथापि, वर्तमान में कर्नाटक राज्य की खानों से लौह अयस्क की बिक्री उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार निगरानी समिति द्वारा कराई जाने वाली ई-नीलामी के जरिये की जा रही है।

(ख) और (ग): एनएमडीसी लिमिटेड के कीमत निर्धारण तंत्र के संबंध में इस्पात मंत्रालय में कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एनएमडीसी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र में एक नवरत्न उपक्रम होने के नाते इसके वाणिज्यिक और वित्तीय निर्णय कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा लौह अयस्क की कीमत निर्धारण के मामले पर निर्णय मौजूदा सामान्य बाजार परिस्थितियों समेत विभिन्न घटकों के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार सामान्य रूप से कंपनी के वाणिज्यिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग में सस्ती कीमत पर लौह अयस्क की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार ने दिनांक 30.12.2011 से लौह अयस्क के सभी ग्रेडों (पैलेट को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क यथामूल्य 20 प्रतिशत से बढ़ाकर यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दिया है।

****